

॥ जय श्री राम ॥

श्री राम जन्मभूमि मंदिर सम्बन्धी जानने योग्य कुछ बातें ।

- 01** ई. सन् 1528 में बाबर की सेनाओं द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ दिए जाने के पश्चात अयोध्या एवं स्थानीय सन्तों, आस-पास के राजाओं रियासतों एवं गृहस्थ समाज द्वारा मंदिर की भूमि प्राप्त करने के लिए सभी राज सत्ताओं के विरोध के बावजूद संघर्ष सदैव चलता रहा, जो ई. सन् 1949 में स्थानीय समाज द्वारा उस स्थान पर कब्जा कर लेने के बाद ही बन्द हुआ ।
- 02** सन् 1950 से लेकर 1989 ई. तक चार वाद स्थानीय अदालत में दायर हुए, सभी वादों को वादकर्ताओं ने लड़ा, शासन ने नहीं । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 15 वर्षों तक मुकदमा सुना, तीनों न्यायाधीशों ने अपना-अपना निर्णय स्वतंत्र लिखा, कुल निर्णय लगभग 8,500 पृष्ठों में हैं, जो न्यायालय ने तीन भागों में प्रकाशित किया है, बाजारों में उपलब्ध है, यह निर्णय राडार तरंगों द्वारा भूमि के नीचे की फोटोग्राफी, पुरातात्विक उत्खन्न, विदेशी विद्वानों द्वारा लिखे गये प्राचीन ग्रन्थों, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्य कालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास तथा गवाहों के बयानों के आधार पर आधारित है, जिज्ञासुओं को पढ़ना चाहिए ।
- 03** सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों के बीच बातचीत के आधार पर समाधान का मार्ग खोजा था, तीन व्यक्तियों की मध्यस्थता टोली बनायी थी, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री कलिफुल्ला जी, सीनियर एडवोकेट चैन्नई उच्च न्यायालय श्री श्रीराम पंचु एवं पूज्य श्री श्री रविशंकर जी इस टोली के सदस्य थे, मार्च 2019 से जुलाई 2019 तक अनेक बार बैठके हुईं, परिणाम कुछ नहीं निकला, 06 अगस्त 2019 से सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने नियमित सुनवाई प्रारम्भ की 40 दिन तक निरन्तर लगभग 175 घण्टे अधिवक्तों के विचार सुने गए, 09 नवम्बर

2019 को सर्व सम्मत निर्णय हिन्दू समाज के पक्ष में हुआ, इस प्रकार मंदिर निर्माण का मार्ग खुल गया।

- 04** सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही भारत सरकार ने "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" नाम से स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया, कुल 15 ट्रस्टी लिखे गए। एक ट्रस्टी निर्मोही अखाड़ा की अयोध्या बैठक के लिए सुरक्षित रखा, एक ट्रस्टी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुरक्षित रखा। स्थानीय जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के एक-एक प्रतिनिधि जो आई.ए.एस. अधिकारी हैं, पदेन न्यासी बनाये गए, भारत सरकार के सुझाव पर एक पदेन न्यासी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ट्रस्टी बनाये गए, इनको मंदिर निर्माण समिति तथा मंदिर सम्बन्धि सभी कार्यों के प्रबंधन की समिति का अध्यक्ष लिखा गया, आज इसी स्थान पर श्री नृपेन्द्र मिश्रा हैं। इनके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केशव पारासरन जी संस्थापक न्यासी हैं, उडूपी, पुणे, प्रयागराज, हरिद्वार से एक-एक सन्त, अयोध्या से एक सन्त तथा अन्य 3 न्यासी बनाये।
- 05** स्वर्गीय अशोक सिंहल जी के प्रयासों-सुझावों को श्री नृपेन्द्र मिश्रा जी को बताया गया, उन्हीं सुझावों के आधार पर लार्सन एण्ड टूब्रो को मंदिर निर्माण के लिए चुना गया तथा समकक्ष स्तर की संस्था प्रोजेक्ट सलाहकार (पी.एम.सी.) होनी चाहिए, इस कारण टाटा (टी.सी.ई.) को चुना गया।
- 06** मंदिर वास्तुकार अहमदाबाद निवासी श्री चन्द्रकान्त भाई सोमपुरा का चयन स्वर्गीय अशोक सिंहल जी ने वर्ष 1986 में किया था, उन्हीं को रखा गया, अन्य भवनों के निर्माण के लिए नोएडा की फर्म डिजाईन एसोसिएट (फर्म प्रमुख जय काकतीकर) को श्री नृपेन्द्र जी ने चुना।
- 07** श्री नृपेन्द्र जी ने अपनी सहायता के लिए मंदिर निर्माण समिति में अपनी रुचि के कुछ व्यक्तियों को जोड़ा, जिनमे से एक विगत 6 वर्षों में एक अथवा दो बार ही अयोध्या बुलाये गए, एक अन्य से सुरक्षा कार्यों से सम्बन्धित सुझाव लिए गए, एक तीसरे सदस्य श्री अनूप मित्तल

- 17** किसी भी प्रकार की दुर्घटना न होना इसमें पुलिस की सुव्यवस्था समान रूप से प्रशंसनीय हैं।
- 18** यात्रियों को प्रवेश द्वार से ही लाईनों में लगा दिया जाता है, अच्छी Q पद्धति बनायी गई है, कोई दर्शनार्थी आपस में टकराता नहीं, बीच – बीच में बैठने के लिए सुविधा दी गई है, पेयजल भी उपलब्ध रहता है, यदि किसी को लघुशंका जाने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए बीच-बीच में निकास मार्ग बनाये गये हैं।
- 19** रामलला के दर्शन हेतु 8 पंक्तियाँ बनाई है, एक विशिष्ट दर्शन, एक सुगम/व्हील चेयर दर्शन, 6 सामान्य पंक्ति, सभी पंक्तियों का आवागमन मार्ग अलग है, कहीं क्रिस क्रॉस नहीं है, इसी कारण एक दिन में दो लाख लोगों का दर्शन सुगम रीति से हो सकता है।
- 20** अति विशिष्ट अतिथि जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, न्यायाधीश आदि के आने पर उनके दर्शन सामने से होते हैं, और सामान्य श्रद्धालुओं का दर्शन भी चलता रहता है। सुरक्षा के कारण कुछ समय सुगम/व्हील चेयर तथा विशिष्ट जनों का दर्शन रोकते हैं, सामने की एक सामान्य पंक्ति में सुरक्षा कर्मी परन्तु सामान्य अन्य पाँच पंक्तियों में दर्शन चलते रहते हैं।
- 21** प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 9.45 तक दर्शन होते हैं, दोपहर 12.30 से 01.00 बजे तक केवल 20 मिनट के लिए ठाकुर जी के विश्राम हेतु कपाट बंद रहते हैं, अधिक भीड़ होने पर पट बंद नहीं करते और दर्शन कराते रहते हैं।
- 22** आने वाले श्रद्धालुओं को रामानंदाचार्य प्रवेश द्वार (रामपथ) से प्रवेश करके यात्री सुविधा केन्द्र पर अपना सामान और जूता-चप्पल जमा करके रामलला तथा राम परिवार दर्शन पूर्ण कर फिर यात्रि सेवा केन्द्र से अपना सामान वापस प्राप्त कर बाहर जाने में केवल एक घंटा लगता है, अत्यधिक